


19/8/19

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित। न्यायालय समय में तीन बार अलग अलग समय में वकील व प्रार्थी को आवाजें दिलवाई गई। लेकिन वकील व प्रार्थी में से कोई हाजिर नहीं हुआ है। इससे प्रतीत होता है, कि वकील प्रार्थी प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहता है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अदम पैरवी व अदम हाजिरी में खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।


उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (झड़मेर)

